पंजाब केसरी

दिनांक: 23/07/2021

'कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने किया प्रथम भुगतान'

चंडीगढ़, 23 जुलाई (ब्यूरो): शुक्रवार को चंडीगढ़ के सैक्टर-29 में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय में निगम के क्षेत्रीय निदेशक अमरीश कुमार शर्मा द्वारा कोविड-19 रोग से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आश्रित हितलाभ के रूप में पैंशन का प्रथम भुगतान किया गया। आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन का 90 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक सुशील सचदेवा, सहायक निदेशक दिनेश सिंह एवं शाखा कार्यालय के शाखा प्रबंधक संदीप कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

शाखा कार्यालय द्वारा बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को अथवा बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपए की अंत्येष्टि व्यय की राशि भी देय है जो पहले ही इन आश्रितों को दी जा चुकी है।

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारी प्रथम भुगतान करते हुए।